रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012020-215423
CG-DL-E-15012020-215423

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड I
PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 14, 2020/पौष 24, 1941
No. 10] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 14, 2020/PAUSHA 24, 1941

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2020

विषय: अप्रैल और मेड-अप्स को अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन के बारे में।

फा.सं. 14/26/2016-IT/VOI. II.—अप्रैल और मेड-अप्स पर अंतर्निहित राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों पर छूट देने के मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 07.03.2019 की अधिसूचना संख्या 14/26/2016-आईटी(खंड-II) के तहत राज्यों और केंद्रीय करों और लेवियों की छूट योजना (आरओएससीटीएल) अधिसूचित की थी और दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना संख्या 14/26/2016-आईटी (खंड-II) के तहत आरओएससीटीएल योजना के अधीन दरें अधिसूचित की थी।

2. यह भी अधिसूचित किया जाता है कि व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा उनकी 30.12.2019 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, अपैरल और मेडअप्स के निर्यात के लिए 07.03.2019 से 31.12.2019 तक आरओएससीटीएल और आरओएसएल + एमईआईएस @ 4% के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति के लिए एफओबी मूल्य के 1% तक का विशेष एक-बारगी अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

3. ईएफसी की सिफारिशें निम्नलिखित हैं:—

क) योजना के अंतर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन निर्यातकों से प्राप्त दावों के अनुसार होगा और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए कुल तदर्थ प्रोत्साहन 600 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा।

ख) योजना के अंतर्गत, अपैरल और मेडअप्स के उन निर्यातों के लिए जिन्हें आरओएसएल + एमईआईएस की तुलना में आरओएससीटीएल के तहत कम लाभ प्राप्त हुए हैं, शिपिंग बिल में प्रत्येक लाईन के लिए एफओबी मूल्य के 1% तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

ग) एमईआईएस को 07.03.2019 से हटा दिया गया है (अध्याय 61, 62 और 63 के लिए)। वाणिज्य विभाग तदनुसार आवश्यक उपाय कर सकता है। एमईआईएस के अंतर्गत निर्यातकों को पहले ही भुगतान किए जा चुके दावों को आरओएससीटीएल के प्रति उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाएगा और जहां कहीं देय हो, वसूलियां की जाएंगी।

घ) लाभों के सही संवितरण के लिए डीजीएफटी और डीओआर द्वारा दावों के वैधीकरण के उपाय किए जाएंगे।

ङ) तदर्थ प्रोत्साहन स्क्रिप्स के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा जिसके लिए राजस्व विभाग द्वारा एक परिव्यय की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी।

अदिति दास राउत, व्यापार सलाहकार

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New-Delhi, the 14th January 2020

Subject: Additional Ad-Hoc Incentive to Apparel and Made-ups – reg

F. No. 14/26/2016-IT/VOl. II.—In pursuance of the decision of Cabinet to rebate all embedded State and Central Taxes and Levies on apparel and made-ups, the Ministry of Textiles notified the scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) vide notification No. 14/26/2016-IT (Vol.II) dated 07.03.2019 and vide notification No. 14/26/2016-IT (Vol.II) dated 08.03.2019, notified the rates under the RoSCTL scheme.

2. It is further notified that, as decided by the Expenditure Finance Committee (EFC) in its meeting on 30.12.2019, a special one-time additional ad-hoc incentive of upto 1% of FoB value will be provided for exports of apparel and made-ups to offset the difference between RoSCTL and RoSL + MEIS@4%, from 7.3.2019 to 31.12.2019.

3. Recommendations of the EFC are as follows:—

a) The additional incentive under the scheme would be as per claims from the exporters and the total ad-hoc incentive would not exceed Rs. 600 crore for the period mentioned above.

b) Under the scheme, incentive of upto 1% of FOB value for each line in a shipping bill will be provided for those exports of apparel and made-ups which may receive lesser benefits under RoSCTL as against RoSL+ MEIS.

c) MEIS stands withdrawn from 07.03.2019 (for Chapters 61, 62 and 63). Department of Commerce may take necessary measures accordingly. Claims already paid to the exporters under MEIS will be suitably adjusted against RoSCTL and recoveries made wherever due.

d) Steps will be taken for the validation of claims by DGFT and DoR for correct disbursal of benefits.

e) The ad-hoc incentive would be implemented in the form of scrips for which an outlay would need to be provided by Department of Revenue.

ADITI DAS ROUT, Trade Advisor

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.15 16:46:16 +05'30'